


**{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}**  
 (नियम 13)  
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

श्री सीमेन्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड़ नगर ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान।	-बनाम-	वीरबल पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी ग्राम चोढाणी तहसल नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान आदि।
किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148(ए) जाबा दीवानी		मु.नं. ...18.../2022 RCMS No


आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	---------------------------

14.10.22 प्रार्थना पत्र बाबत कैवियट आवेदक की ओर से वकील श्री चन्द्रकांत शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में वाद-प्रस्तुत होने पर आवेदक को सुना जाने हेतु प्रार्थना पत्र तलब की जावेगी। पत्रावली दिनांक 28.12.2022 को पेश हो।

  
 सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)  
 नवलगढ़ जिला झुन्झुनू


28/11/22

पत्रावली पेश हुई। दायज कार्य प्रारंभ हुआ।  
 वकील कादी/प्रतिवादी ने पत्रावली पेश की।  
 पत्रावली दिनांक 16/11/23 को पेश हो।

  
 ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)  
 नवलगढ़


16/11/23

पत्रावली पेश हुई। आज कार्य प्रारंभ हुआ।  
 वकील कादी/प्रतिवादी ने पत्रावली पेश की।  
 पत्रावली दिनांक 16/11/23 को पेश हो।



28/11/23


पत्रावली पेश हुई। आज कार्य प्रारंभ हुआ।  
 वकील कादी/प्रतिवादी ने पत्रावली पेश की।  
 पत्रावली दिनांक 18/11/23 को पेश हो।



18/11/23

पत्रावली पेश हुई। वकील कैवियटकत उपस्थित। कैवियट प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2022 को दर्ज की गई। प्रार्थना पत्र को दर्ज होने परीय 03 माह से अधिक समय तक चला है। उक्त अवधि दौरान न्यायालय द्वारा कैवियट में दर्ज खसरा नम्बर के संबंध में कोई मुकदमा प्रस्तुत नहीं हुआ है। कैवियट प्रार्थना पत्र की अधिकतम अवधि 90 दिनों है जो कि व्यतीत हो चुकी है। कैवियट प्रार्थना पत्र अवधि पार होने से आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र अवधि पार होने के इसी स्तर पर खत्म किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से उक्त के तब बाद तत्कालीन आपरा दायज कार्य है।



  
 ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)  
 नवलगढ़